



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उरु—खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. 1]

नई दिल्ली, नगरपालिका, जनवरी 1, 2002/पौष 11, 1923

No. 1]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2002/PAUSA 11, 1923

भारतीय प्रशु चिकित्सा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2002

सा. वा. नि. 1(ज).—एलट्रा. भारतीय प्रशु चिकित्सा परिषद्, अधिनियम, 1984 (1984 वा. 52) एवं अनुभाग 66 द्वारा प्राप्त अधिनियम का उपरोक्त वर्तमान द्वारा भारत सरकार की पूर्ण भवनति से, भारतीय प्रशु चिकित्सा परिषद् पंजीकरण विनियम, 1992 को निम्नोक्त विधमों द्वारा रोका जाएगा :—

1. (1) इन को भारतीय प्रशु चिकित्सा परिषद् पंजीकरण संशोधन विनियम, 2001 जहा जाए।
(2) ऐ सकारे गवर्नर में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. भारतीय प्रशु चिकित्सा परिषद् पंजीकरण विनियम, 1992 में विधम 4 से उत्तरान विवरणित विनियम ओड दिया जाए।
“ए. अस्थाई पंजीकरण-1(1) बी.बी.एस.सी. एण्ड ऐ.ए. कार्यक्रम के सभी पाठ्यक्रम पास जाने वाले हर विद्यार्थी जो, हमारी प्रशिक्षण हेतु भारतीय प्रशु चिकित्सा परिषद् या भारतीय प्रशु चिकित्सा परिषद् में अस्थाई रूपेष पंजीकृत होना चाहे वार्ष या वेतनदाता न विद्यार्थी है।
(2) जारी होने के द्वारा अपेक्षन पत्र औं साथ अन्वेषार्थ है :—
(क) विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी की वी एम सो एण्ड ऐ.एच. पाठ्यक्रम का नूर्त द्रव्याण पत्र जो कि अस्थाई पंजीकरण विनियम का रेखांकित पोस्टल आडर या बैंक द्राघट और दो पासफोट आकार की भई जोड़ी।
(ख) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मान्यताप्राप्त प्रशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/डॉन/एसेसिएट डॉन/निर्देशक (इस्ट्रक्टर्सन्स) अथवा अपने प्रदेश के किसी विध्यक या संसद द्वारा सल्लाहित दो पासफोट आकार की भई जोड़ी।
(3) अस्थाई पंजीकरण उमान-पत्र वार्ष 'फे' में छ: महीने की वैधता के साथ पारी किए जाएगा। यह अवधि नी महीने तक वृद्धाई या सकारी है।

(ब) नाम 'आई' के बाद निम्नलिखित फार्म जोड़े जाएं :—

फार्म 'छ'

[दृष्टव्य विनियम ४ए (१)]

अस्थाई पंजीकरण

सेवा में,

सचिव,

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

16/15 डल्लू इ.ए. आर्य समाज मार्ग,

करोल बाग, नई दिल्ली-110005

विषय : अस्थाई पंजीकरण हेतु आवेदन

नहोदय,

श्री/डॉ (नाम स्वच अक्षरों में) के सुपुत्र/सुपुत्री (नाम

स्वच अक्षरों में) अधोलिखित मेंने, फाइनल बी थी एस सी एण्ड ए ए/बी थी एस सी पाठ्यक्रम सहीने, 200..... में, दृष्टव्य

रोल नं. तथा विश्वविद्यालय रोल नं. से संबंध (महाविद्यालय) से पास कर लिया है।

मेरे अनुरोद करता हूँ कि में चल रहे "इन्टर्नशिप-व्रशिक्षण" को छ; माह को अवधि हेतु मुझे अस्थाई पंजीकरण

प्रमाण-पत्र जारी किया जाए। पंद्रह रुपए भूल्य का एक सोल्ल जार्डर/डी थोक्रांक दिनांक संलग्न है।

(महाविद्यालय का नाम), विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी किए गए वी थी एस सी एण्ड ए एच पाठ्यक्रम समाप्ति के प्रमाण-पत्र की दो सत्यापित प्रतियां भी संलग्न हैं। ये भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पशु चिकित्सा शिक्षा के मूलतम मानदण्ड) डिग्री पाठ्यक्रम (वी थी एस सी एण्ड ए एच) विनियम, 1993 में उक्त निर्देशों के अनुरूप पाठ्यक्रम की सन्मानित दर्शाई है।

आपके महां उचित कार्यकारी तथा विचारण, मेरी पात्तप्रेर्त आकार की दो झोटो भी संलग्न हैं।

हस्ताक्षर :

नाम :

वर्ता :

संलग्न —

1. दो चासनोंट आकार की काटा
2. पाठ्यक्रम समाप्तन प्रमाण-पत्र की दो सत्यापित प्रतियां
3. पंजीकरण शुल्क हेतु 15 रुपए का आई पी ओ/डी हो

फोटो यहाँ
लगाएं

कार्म 'के'

[दृष्टव्य विनियम 4ए (3)]

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

16/15 इल्लू ई ए, आर्य समाज मार्ग,

करोल बाग, नई दिल्ली-110005

अस्पाई एजेंसी ब्रांच प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या—बी सी आई/अस्पाई

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----|--|--------------------------------------|-------------------------|
| नाम (मुख्य या महिला इनियर के) | पिता का नाम | पता | मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता सथा परीक्षा पत्र करने की तिथि | महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम | प्रमाण-पत्र को वैधता |
|----------------------------------|-------------|-----|--|--------------------------------------|-------------------------|

स्थान : नई दिल्ली

प्रिमांक :

सचिव

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

टोट : 1. अनुनोदित संस्थान ने केवल प्रशिक्षण के लिए ही, धारक अभ्यास के लिए अधिकृत होगा।

2. नाइगर पंजीकरण के समय मूल प्रमाण-पत्र बाप्स जमा करवाना अनिवार्य है।

[फाइल सं. 26-6/98-बीसीआई]
सौ. के. बासदेव, कार्यकारी सचिव

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2002

G.S.R. 1(E).—In exercise of the powers conferred by Section 66 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Veterinary Council of India with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Veterinary Council of India (Registration) Regulations, 1992, namely.—

i. (1) These regulations may be called the Veterinary Council of India (Registration) Amendment Regulations, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Veterinary Council of India (Registration) Regulations, 1992, after regulation 4, the following regulation shall be inserted, namely:—

"4.A. Provisional Registration.—(1) Every student who has passed all the courses of B.V.Sc. and A.H. programme shall, before undergoing internship training, be required to get himself/herself provisionally registered with the State Veterinary Council or the Veterinary Council of India and shall make an application in Form J.

(2) Every application in Form 'J' shall be accompanied with—

(a) two attested copies of the B.V.Sc. & A.H. Course completion certificate issued by the University/Institution which shall be verified at the time of issue of the provisional registration certificate;